भारत सरकार

राजस्व मंत्रालय

आयकर विभाग

कार्यालय आयकर आयुक्त,

न्यू सी.जी.ओ. काम्पलेक्स, एन.एच. (IV), एन.आई.टी. फरीदाबाद।

1. फाईल संख्या	:	आ.आ./फरी./तक./80-जी/2013-14/39/59
2. प्रार्थी का नाम एवं पूरा पता	:	सोसायटी फॉर अपलिफ्टमेंट एंड डेवलेपमेंट ऑफ ह्यूमन बिंगस बॉय एक्शन (सुधा), ब्लाक-ए-वन, मकान नं. 22जी.एफ., साउथ सिटी-2, सोहना रोड, गुड़गाँव
3. हैसियत	:	सोसायटी
4. आदेश की तारीख	:	24.12.2013

आयकर अधिनियम 1961, की धारा 80-जी(5) के साथ पठित आयकर नियम, 1962 के नियम 11कक(4) के अधीन आदेश

सोसायटी फॉर अपलिफ्टमेंट एंड डेवलेपमेंट ऑफ ह्यूमन बिंगस बॉय एक्शन (सुधा), ब्लाक-ए-वन, मकान नं. 22जी.एफ., साउथ सिटी-2, सोहना रोड, गुड़गाँव ने आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 80जी के अन्तर्गत छूट हेतु दिनांक 08.07.2013 को आवेदन निर्धारित फार्म 10जी भरकर इस कार्यालय में दाखिल किया है। सोसायटी पहले से ही आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 12ए के अन्तर्गत आदेश संख्या आ.आ./फरी./तक./12ए/2013-14/40/67 दिनांक 24.12.2013 को पंजीकृत है।

2. यह सत्यापित करने के लिए धारा 80जी के अधीन सभी शर्तें छूट हेतु पूरी कर ली गई हैं, पत्र फ.स.आ.आ./फरी./तक./80जी/2013-14/3759 दिनांक 19.09.2013 सोसायटी को जारी किया गया था और सोसायटी द्वारा प्रस्तुत किये गये ब्यौरों और दस्तावेजों को जांचा गया।

3. दिनांक 08.07.2013 को सोसायटी द्वारा दाखिल किये गए प्रार्थना पत्र और मेरे समक्ष दिनांक 15.10.2013 को निवेदक द्वारा प्रस्तुत किए गए ब्यौरों व दस्तावेजों को जाचंने के पश्चात, मैं सोसायटी के उद्देश्यों और उनके कार्य-कलापों की वास्तविकता से सहमत हूँ। सोसायटी को दिये गये दान के फलस्वरूप आयकर अधिनियम की धारा 12ए व उससे संबंधित नियमों के अन्तर्गत दानकर्ता को छूट प्राप्त होगी।

COMMISSIONER OF INCOME TAX
FARIDABAD
Exemption U/s 80G
No. 59/24.12.2013

यह आदेश अनुमोदन के लिए निम्नलिखित शर्तों के तहत लागू होगाः-

(i) यदि मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन और नियम व विनियमों में कोई संशोधन किया जाता है तो उसकी सूचना तुरन्त इस कार्यालय को देनी होगी।

(ii) धारा 12एए(1)(बी)(i) के अधीन पंजीकृत सोसायटी ऐसा कोई कार्य या गतिविधि नहीं करेगी जो आयकर अधिनियम 1961 की धारा 2(15) के परन्तुक(शर्तें/प्रतिबंध) के अधीन आती है। जैसेः- व्यापार, वाणिज्य अथवा कारोबार की गतिविधियां करना, किसी व्यापार, वाणिज्य अथवा कारोबार से संबंधित सेवा प्रदान करने की गतिविधि, किसी अन्य प्रतिफल के लिए उपकार या शुल्क देना अथवा बिना प्रभाव के आय की प्रकृति के प्रयोग को प्रतिधारण करना इत्यादि।

(iii) यह सुनिश्चित किया जाए कि किसी भी समय सोसायटी अपने धन का इस्तेमाल किसी विशेष धार्मिक समुदाय या जाति के लिए नहीं करेगी जैसा-कि धारा 80जी (5)(iii) में उल्लेखित है।

(iv) आयकर अधिनियम 1961 की धारा 139(4ए) के प्रावधानों के अनुसार सोसायटी को नियमित रूप से आयकर प्राधिकरण के समक्ष आयकर विवरणी प्रस्तुत करनी होगी। सोसायटी नियमित रूप से बहीखातों का रख-रखाव करेगी और आयकर अधिनियम 1961 की धारा 12ए(बी) के प्रावधानों के अनुसार ऑडिट करवाएगी। प्रत्येक गतिविधि के संबंध में अलग से खाता रखना होगा जैसे कि ज्ञापन में विनिर्दिष्ट है। प्रत्येक खाते की प्रति निर्धारण अधिकारी को प्रस्तुत करनी होगी।

(v) यह प्रमाण-पत्र सोसायटी को अपने निर्धारण में आयकर से छूट के दावे के लिए कोई अधिकार प्रदान नहीं करती है। निर्धारण अधिकारी अलग से और स्वतंत्र रूप से अधिनियम की धारा 2(15) के अंतर्गत यह जांच कर सकता है कि क्या निर्धारिती धर्मार्थ है और आयकर अधिनियम 1961 की धारा 11, 12, 12ए(बी) और 13 में निर्धारित शर्तों को पूरा करता है।

4. दान पाने वाली सोसायटी यदि बताई गई शर्तों को पूरा नहीं करती या किसी तरह का उल्लंघन करती है तो नियम के अधीन सोसायटी यह लाभ गंवा बैठेगी।

5. यह आदेश छूट के लिए वित्तीय वर्ष 2013-14 संबंधित निर्धारण वर्ष 2014-15 एवं इसके उपरान्त के वर्षों पर लागू होगा, जब तक इसे वापस न लिया जाए।

हस्त/-
(नीना कुमार)
आयकर आयुक्त, फरीदाबाद।

5576
27/12

प्रतिलिपिः
1. सोसायटी फॉर अपलिफ्टमेंट एंड डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन बिंगस बॉय एक्शन (सुधा), ब्लाक-ए-वन, मकान नं. 22जी.एफ., साउथ सिटी-2, सोहना रोड, गुड़गाँव ।
2. संयुक्त आयकर आयुक्त, रेंज-2, गुड़गाँव ।
3. सहायक आयकर आयुक्त, सर्कल-2, गुड़गाँव।

(ए.के. त्यागी)
आयकर अधिकारी, मुख्या.
कृते आयकर आयुक्त, फरीदाबाद।